अध्याय-चतुर्थ
जैविक संसाधन

जैविक संसाधन मानव द्वारा प्रयुक्त संसाधनों में काफी महत्व का है। इससे मानव को भोजन, वस्त्र, लकड़ी तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों एवं आस्थियों की प्राप्ति होती है। धन एवं जल दोनों खोजों से हम संसाधनों की उपलब्धि होती है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणियों दोनों को सम्मिलित किया जाता है (पाण्डेय, 1964)। प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के वन, जल और जल टेक्स्चर संसाधन का विश्लेषण किया गया है।

(1) वन संसाधन

वन एक तत्त्वात्मक संसाधन है, जिसकी पारस्परिकता सत्तुलन को बनाये रखने, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने, धन एवं जलवायु की लकड़ी प्रदान करने, बालामाह एवं शब्दों को चारा उपलब्ध कराने, अन्य जीवों एवं आवास हेतु इमारती लकड़ी प्रदान करने तथा प्राकृतिक खिद्दा यथा- बाँध, सूखा आदि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त वन, कवयित्र जनों एवं सृष्टि जीवों को आवास प्रदान करने, उपजाऊ पौधों तथा भररूप भिड़ट का निर्माण करने, अर्थ जल एवं तीर्थ हवा के जीवों को रोकर मिट्टी अपरदन को रोकने, कार्बन डाइ ऑक्साइड का अवशोषण कर पर्यावरण को स्वस्थ रखने, वर्तमान संरक्षण के द्वारा में रिसाव कर भूमिगत जलमण्डल में वृद्धि करने में लिये भी महत्वपूर्ण है।

वनों का वितरण

रत्नाकर सामग्री में मात्र 47 हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है। जो कुल क्षेत्रफल का 0.09% है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में वन संसाधन नगण्य है। अध्ययन क्षेत्र के अल्फारक में हितों सम्पर्क एवं नायकपत्रक तथा नियम बनाई हुई जंगल का कुछ अवशेष भाग मिलता है। इसी तरह कहीं कहीं टाक, बहुल, भाऊ, कीड़ा आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। मानव द्वारा आरोपित पीपल, बरादर, पाकड़, सेमल, महुआ, नीम, शीशाम, सागर, सादू, बाँस, बुबुल, युक्तिलंका तथा फलदार वृक्ष (विशेषकर आम के अतिरिक्त बेडल, बेल, जामुन, अमला आदि) पाये जाते हैं। ये सभी मानसूनी पतझड़ वाले वृक्ष हैं जो ग्रीमबाल के आगमन के पूर्व ही अपनी पत्तिया गिरा देते हैं। इन वृक्षों के साथ-साथ घासें (मूं, कांस) और ज्याड़िया पायी जाती है। क्षेत्र में बालामाह आदि की भी काफी कम है।

अध्ययन क्षेत्र में इमारती लकड़ी के बागों, उद्यानों, ज्याड़ियों, बांसों का क्षेत्रफल 339 हेक्टेयर (0.69%) है। प्रस्तुत अध्ययन में इसके क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों की अधिकांश आवश्यकताओं इन्हीं से प्राप्त होती है। इस प्रकार वनों, इमारती लकड़ी के बागों, उद्यानों, ज्याड़ियों, बांसों आदि का क्षेत्रफल 386 हेक्टेयर है जो कुल क्षेत्रफल का 0.78% है। विश्लेषण हेतु इन्हें 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। (तालिका 4.1)
तालिका 4.1

वनों, इमारती लकड़ी के बागों, उद्यानों, झाड़ियों, बांसों के क्षेत्र का श्रेणी

वितरण (2007-08)

<table>
<thead>
<tr>
<th>श्रेणी</th>
<th>क्षेत्र (प्रतिशत में)</th>
<th>न्याय पंचायत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>संख्या</td>
<td>प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>मध्यम निम्न</td>
<td>0·30 से कम</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>मध्यम</td>
<td>0·30-1·20</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>मध्यम उच्च</td>
<td>1·20-2·10</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>उच्च</td>
<td>2·10-3·00</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्य</td>
<td>3·00 से अधिक</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>अभावपुर्ण</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

तालिका 4·1 एवं चित्र 9 के अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुक्रम की मध्यम निम्न श्रेणी के अन्तर्गत 7 न्यायपंचायत सम्मिलित हैं, जिनमें इनका अनुपात 0·12% (अजमलपुर) से लेकर 0·28% (आशापुर) तक है। मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत सावधान 9 अनुपात 37·50% न्यायपंचायत सम्मिलित हैं, जिनमें अनुपात 0·44% (बंदीपुर) से लेकर 1·18% (सुरुहुपुर) तक है। मध्यम उच्छ और उच्छ श्रेणी के अन्तर्गत 2-2 न्यायपंचायत सम्मिलित हैं। अन्य श्रेणी के अन्तर्गत मालीपुर न्यायपंचायत (3·29%) सम्मिलित है। क्षेत्र की 3 न्यायपंचायतों—नगपुर, सकरा युसुफपुर और असरफपुर मजगवां में इनका अभाव है।

सामाजिक वाणिकी के अन्तर्गत क्षेत्र एवं वृक्ष

सामाजिक वाणिकी जनता के सहयोग से देश की हरितिमा में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत वन विभाग और सामाजिक जनता के सहयोग से वनवावरण में वृद्धि, ग्रामीणों में जलाउल लकड़ी, चारा एवं घरेलू उपयोग हेतु लकड़ी की आपूर्ति, बंजर और बेकरा भूमि पर वृक्षारोपण और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय दस्तावेजों में सुधार आदि के कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई और 1980 में यह छहवर्षीय योजना का अंत बन गया। इस कार्यक्रम के तीन घटक (अ) मुफ्त या कम कीमत पर पौध वितरण करते हुए फसलों को अपने खेतों में वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करना (ब) सामुदायिक उपयोग हेतु वन विभाग द्वारा सड़कों, नहरों, रेल लाइन और सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करवा कर सामुदायिक स्थलों पर
सामान्य जनता द्वारा वृक्ष लगाना है केन्द्र सरकार ने इसके अन्तर्गत 'वृक्ष पद्म योजना' शुरू की है। जिसके तहत कम आय, छोटे एवं सीमित कृषक और सेवा निवृत्त सैनिकों को सार्वजनिक भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है। इस कार्यक्रम के अनुमय पूर्व सफलता मिली है। कृषि वानिकी भी इसका अंग है।

अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वृक्षरूप किया जा रहा है। वर्ष 2006-07 में 42•52 हेक्टर, 2007-08 में 41•46 हेक्टर और 2008-09 में 46•70 हेक्टर क्षेत्र में पोधों का रोपण किया गया। वर्ष 2008-09 में अधिकांश वृक्षारोपण कौशाबाद-बारासूकी राजमार्ग, शारदा सहायक नहर खण्ड तथा ग्रामसमाज की भूमि पर किया गया है। बृजन, जंगल जलेबी, प्रासादः पोधों का रोपण अधिक किया गया है। ये पोधों कम उपजाउ भूमि एवं कम नमी में भी ग्रामवासियों के जलाई मकड़ी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जलदी तैयार हो जाते हैं, इसीलिये इनका रोपण ग्रामसमाज की भूमि पर अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त शीशाम, यूकेलिडिस, अर्जुन, कंजु, जामून, अम, नीम, महुआ, सागरन का हुआ है। इन पोधों का रोपण अधिकांशतः सड़क, नहर, नेप के किनारे हुआ है। पर्यावरणीय दुःखभाव (जलपूसक बोने के कारण) और घटती मांग के कारण अब यूकेलिडिस को नहीं लगाया जा रहा है। दींजल की प्राप्ति हेतु जंटोफा के पोधों के रोपण पर ध्यान दिया जा रहा है।

वनों के उत्पाद

वनों का उपयोग विविध प्रकार से होता है जिसमें इमारती एवं इधन की लकड़ी का उत्पाद एवं उपयोग प्रमुख है। वनों से अनेक गृह उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। अतः वनोत्पाद का प्रमुख एवं गृह में विभाजित किया गया है। जातक ३ है कि वनोत्पाद के अन्तर्गत प्राकृतिक वन रूप, तथा रोपण वन क्षेत्र (उधानों, बागों, जंगलियों, सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत रोपित वृक्षों) को सम्मलित किया गया है।

(अ) प्रमुख वनोत्पाद

वनों के प्रमुख उत्पाद इमारती और इधन की लकड़ी का उत्पाद है। इमारती लकड़ी के उत्पादन में शीशाम, सागरन, साखू का प्रमुख स्थान है। इनकी लकड़ी कठोर, भारी, मजबूत एवं टिकाक धारी है। आम अर्जुन, महुआ, नीम, जामून, बृजल की लकड़ी भी महत्त्वपूर्ण होती है। क्षेत्रीय अध्ययन से जात हुआ कि उक्त रोप के कारण शीशाम के वृक्ष सूखते जा रहे हैं। अतः अब सागरन की पोधों के रोपण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। क्षेत्र की वनों की लकड़ी को ईंधन के रूप में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। आम, बृजल, प्रासादः, जंगल जलेबी आदि की लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में संबंधित होता है। इसके अतिरिक्त छोटे वृक्षों एवं जंगलियों का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। वृक्षों के कटाव के कारण ईंधन की समस्या बढ़ती जा रही है।
(b) प्रोत्युत्पाद

वनों से क्षेत्र में अनेक गोप उपजें भी प्राप्त होती हैं जिनमें फल अधिक महत्वपूर्ण हैं। आम के अतिरिक्त अमरूद, जामुन, महुआ, कटहल, बेल आदि से फल प्राप्त होता है, जो मानव जीवन के लिये विशेष उपयोगी है क्योंकि सत्तेलित आहार में इनका विशेष महत्त्व है। आम के फल का उपयोग अनेक रूपों- अचार, चटनी, मुख्या, आमरस, अमृतवर आदि के लिये किया जाता है। महुआ के फलों से मदिरा बनायी जाती है, साथ ही तेल और खली भी प्राप्त होती है। नीम के फल से भी तेल और खली प्राप्त की जाती है। बांस का उपयोग गुहा निर्माण के अतिरिक्त टोकरी, खाँची, सूप आदि बनाने, बूँद की छाल का उपयोग चमड़ा कमाने, यूकेलिप्टस का उपयोग लटका बनाने, अर्जुन का उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। पत्रियाँ से दोनों, पतला, टीकियाँ बनाने, मजू कांस से रससी बनाने का कार्य सम्पन्न होता है। अनेक वनस्पतियों को छाली, पत्तियाँ, फलों या जड़ों को आयुष्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें आंवला, हरी बेड़ा, नीम, अरबुद, जामुन, अवनंदन, सफ़ेदघाट, अभारको, तुलसी, बूबुल, अर्द्रा आदि प्रमुख हैं। 

नृसिंधी पालन से शहद, पशुओं के लिये चारा, पूषा सजावट के लिये पुष्प आदि प्राप्त होता है।

अध्ययन क्षेत्र में वनों के परस्पर उत्पाद भी हैं। मानव की प्रथम आवश्यकता प्राणवायु (अक्षीजन) वृक्षों से प्राप्त होती है तथा मानव द्वारा विस्तारित वायु (कारन बाद आक्रान्त) को वृक्ष भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वातावरण को शीतलता प्रदान करने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वृक्षों की मृदा अपरदम, मुदा अवनंदन एवं बाद के नियंत्रण, भूमि उद्धार, शोष-पक्षीयों के संचार, जल संरक्षण एवं निष्ठें की उपजाय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। पौधों एवं पशुओं के अनुसार पवित्र वर्ष का एक पृथ्वी अपने जीवन काल में आक्षीजन के उचाचार, वायु के परिवर्तन, जल के अवशोषण एवं नियंत्रण, निर्माण के परिवर्तन, शोष-पक्षीयों के संचार, प्रोटीन के उत्पादक के रूप में 15•70 लाख पूर्व के प्रत्यक्ष/प्राकृत लाभ मानव जीवन को देता है। (दूसे, सिंह, दूसे 1998 ).

निर्विन्नीकरण

अध्ययन क्षेत्र में वन के विविध प्रयोग के परिणामस्वरूप अवरुद्ध वन विद्योहन हुआ है। सम्पत्ति प्राकृतिक प्राप्त समाप्त काल: समाप्त प्राय: हैं। प्रागैतिहासिक काल में अधिकांश भाग वनाचार्यित था। आदिम जातियां वनों से प्राप्त प्राय: हैं। जीवन निर्विह करती थीं। कृषि कार्यों में आयों के आगमन के पश्चात ही गति आयी, परिणामस्वरूप वनाचार्यित क्षेत्र का क्रमशः हास होता गया। मध्यकालीन युग में भी वनों की कमाई अवाज़ रूप से चलती रही जो वर्तमान समय में अपनी चर्म सीमा पर पहुँच गयी है। अनेकों के आगमन के पश्चात वनों का उपयोग बिना एवं अन्याय देशों के लिये प्राप्त हुआ, जिससे वनों पर प्राकृतिक दंड उगा। जैसे-जैसे ब्रिटेन का व्यापार विस्तार हुआ, वह युद्धों में दिस्मा लेने लगा, वनों का कटाव भी तीव्र हुआ। व्यापारीकरण के कारण अधिकांश लाभ प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप वनों पर दबाव बढ़ा तथा निर्विन्नीकरण को बढ़ावा मिला।
यह घोर घटना का विष्णू है कि मानव ने बनों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय क्षेत्रों को मूल दिया है तथा उसका इतनी तेजी से सफाया किया है कि क्षेत्र में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं इस प्रकार निर्विनिकरण के कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम हुये हैं। इसमें गृह निर्माण हेतु इमारती लकड़ी एवं ईंधन हेतु लकड़ी समस्या अधिक गम्भीर है। इमारती लकड़ी को गोरखपुर, निर्माण एवं सोनभद्र आदि से आयात कर आवश्यकता की पूर्ति की जाती है जो महंगी पड़ती है। अब तो गृह निर्माण में इमारती लकड़ी की महंगाई से प्रभाव प्राप्त हो रही लगा है। क्षेत्र में बन एवं बाग के बूटों का बड़ी मात्रा में कटान हो जाने के कारण आम जनता को ईंधन के लिये लकड़ी मिलना कठिन हो गया है।
फलों विशेषकर आम के बागान के कटाव के कारण देशी आम दुरुस्मि
होते जा रहे हैं। इसी तरह मुहुआ, जामुन, बेल, आंवला आदि के फल का भी
अभाव होता जा रहा है। बाद की कीटों, जो कि प्रत्येक गांव में हुआ करती थी,
अब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। बाद की क्रमी हो जाने से गृह निर्माण
के अतिरिक्त इस पर आधारित कुड़ीरे उद्योग के लिये समस्या उत्पन्न हो गई
है। क्षेत्रीय अध्ययन से जाना है कि डोम, बंसफोर्ड जातियों की आमोजिका
प्रमुख रूप से इसी पर आधारित है। कांस, मौज़ा प्रायः नदियों, नहरों के किनारों,
भीतर, बंजर भूमि में उगते थे, कृषि भूमि के विस्तार के कारण समाप्त होते जा
रहे हैं। इसी तरह चारागाह भूमि के कृषिकृत हूमियों में परिवर्तित होने से चारा
की समस्या बढ़ती जा रही है। अँधीवादी गुणों से युक्त वृक्षों (नीम, आंवला, हरी
बहाड़ा, जामुन आदि) के कटाव के कारण अधिकतम के लिये तत्त्वों की क्रमी होती
जा रही है। ग्रामीण समाज के परम्परागत कृषि उपकरण यथा— हल, फांड़ा,
गैती, जुआठ के साथ ही खिलोने एवं अन्याय वस्तुओं लकड़ी से ही निर्मित होती
रहती हैं, लेकिन अब इनको बनाने के लिये उपयुक्त लकड़ियों का अभाव होता
जा रहा है, जिसका कुरानाम तत्त्वों के ग्रामीण दस्तकारों पर पड़ रहा है, क्योंकि
उनकी आंजिकात्रा के यही प्रमुख साधन रहे हैं।

निर्विन्यकरण का कुरानाम भूमि, जल, वन्यजीव संसाधनों, पतझरण
एवं पारिस्थितिकी पर भी पड़ा है, जिससे अध्ययन क्षेत्र में मूडा अपरदन में बृद्धि,
उपजाउन में हास, बादों की आवृत्ति तथा सिस्टेर में वृद्धि, वर्षा में क्रमी के
कारण सूखे की घटनाओं में वृद्धि, भूमिगत जल में हास, वन्य जीवों एवं जैव
विविधता में हास, जलवायु परिवर्तन एवं तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं में उत्पन्न
हुई हैं। अध्ययन क्षेत्र में निर्विन्यकरण के कारण एक गम्भीर समस्या बनती जा
रही है, जिससे काफी उपजाउन मिटटी व्यापकता में बढ़ कर नष्ट होती जा रही
है। अपरदन के कारण नदियों, तालाबों, जलालों की तलाश के भ्राव से बाढ़
एवं जल जमाय की समस्या बढ़ती जा रही है। निर्विन्यकरण के कारण सूखे की
घटनाओं में भी वृद्धि होती जा रही है। नवरंतित मिटटी की जलशेषण क्षमता में
क्रमी आ जाने से भूमिगत जल भण्डार प्रभावित हो रहा है। नवनिकरण के कारण
वृद्धि जल के भूमि में कम रिसाव के कारण भूमिगत जल में हास होता जा रहा
है (निर्विन्यकरण के कारण मिटटी के उपजाउन में हास एवं जमाय की समस्या
बढ़ने से बंजर भूमि की समस्या बढ़ती जा रही है। निर्विन्यकरण के कारण पाथक
चक बाधित हो जाता है और इस निर्विन्यकरण वाले क्षेत्र की शुद्ध प्रावधिकता
उल्लंघन में क्रमी आ जाती है। इस प्रकार निर्विन्यकरण भूमि धीरे-धीरे
अनुमानित भूमि और अन्तः बंजर भूमि एवं निर्विन्यकरण होती जाती है (कुस्मर
एवं पाण्डेय, 1983)। निर्विन्यकरण से जैविक विविधता में हास और वन्य जीवों
एवं पक्षियों के प्राकृतिक आवास की क्रमी की समस्या बढ़ती जा रही है।
पतझरण एवं पारिस्थितिकी के संकेत में भी वनस्पति का विनाश प्रमुख है।
स्थान वनस्पति में विकास की सीखने और परावर्तन की प्रक्रिया व्यक्तिक समृद्धि
में होता है। वनस्पति से परावर्तन अवस्थाओं के रंग, लोकिका संरचना और पशुओं
में संचित जल से नियंत्रित होता है (कुस्मर,2002)। निर्विन्यकरण से उष्मा
संतुलन अनुपालित होता जा रहा है तथा सुखद शीतल वातावरण और
प्राकृतिक सींधुय समाप्त होता जा रहा है।
(2) जन्तु संसाधन

जन्तु (पशु) प्राकृतिक संदर्भ है। माशीनिकरण के बावजूद भी पशु मानव के लिये अमूल्य निदान बने हुए हैं।

पशु संसाधन का महत्व एवं उपयोग

क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। खाद्य पदार्थ, कृषि कार्य, बोझा एवं सस्यारी जोने, ऊष, खाल, चमड़ा खाद आदि अनेक पदार्थों की प्राप्ति में पशुओं का अमूल्य योगदान है। इतने मानवीय आहारों में पोषण संबंधी कमी को पूर्ण होती है। स्पष्ट है कि पशु खाद्य संसाधन, शाक्ति संसाधन और औद्योगिक संसाधन के रूप में क्षेत्रीय निवासियों के लिये उपयोगी हैं।

क्षेत्र में मैस एवं गाय दूध उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। अल्ब मात्रा में दूध की प्राप्ति बकरी एवं भेड़ से भी होती है, लेकिन दूध उत्पादन में इसका योगदान नगद ही है। व्यक्ति में दूध अवश्य ज्यादातर मैसों के दूध पर आधारित है। अधिकांश उत्पादन पारिवारिक आधार पर किया जाता है। खाद्य पदार्थ के रूप में मैस का काफी महत्व है, जिसे बकरे—बकरी, मूगी—मूगी, सुअर और भेड़ से प्राप्त किया जाता है। इनमें बकरे—बकरी तथा मूगी—मूगी के मास का उपयोग सावधान होता है। मूगी—मूगी के मास का प्रयोग बदलता जा रहा है। सुअर के मास का उपयोग अधिकांशतः हिन्दू समुदाय के भिन्न जाति के लोग करते हैं। मूगी से पौधों शाकिक पदार्थ के रूप में अण्डा प्राप्त होता है।

पशु कृषि के में, तेल, चीनी, सूखा मसाला, फलों की मड़ाई, सामानों की दुलाई आदि का कार्य पशुओं विशेषकर बैलों द्वारा किया जाता था। यात्रिक शाकिबों के विकास के कारण इसका महत्व कम हुआ है। किर भी कृषि में यात्रिकरण के बावजूद कृषि कार्यों के लिये पशुओं का उपयोग किया जाता है। कृषि उपयोजों में प्रमुख होने वाला देशी एवं जीविक खाद (गॉबर, कम्पोस्ट, बकरी, भेड़ आदि की खाद) पशुओं से ही प्राप्त होती है। देशी खाद में गॉबर की खाद सावधान महत्वपूर्ण है जो चौपाइयों (महिष जातीय एवं गायजातीय पशुओं) से प्राप्त होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटासियम के अंतरिम सुधार पोषक तत्वों की भूमिका होती है। इसी गूहे के कारण निद्रा की उर्धा शक्ति एवं स्वास्थ्य सशक्तिक रह पाता है। गॉबर की खाद न केवल नाइट्रोजन एवं ह्यूमस में ही समुदाय होती है, बल्कि यह हाइड्रोजन एवं दूध रहित होती है तथा किसी प्रकार के संयंत्र में मुक्त होती है (रंगाचारी एवं व्यास, 1984)। वर्तमान समय में बायोगैस संयंत्र से जीविक खाद अधिक मात्रा में तैयार किया जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र में 857 बायोगैस संयंत्र लगे हैं, जिनसे कम्पोक्ट खाद के साथ-साथ खाना प्रकाश की गैस और प्रकाश के लिये उड़ान भर जाती है। इसके अंतरिम में, बकरी एवं अन्य पशुओं की खाद का उपयोग कृषि उत्पादन में किया जाता है।

क्षेत्र में चौपाइयों के प्रमुख स्रोत हैं क्योंकि गॉबर से बने उपलब्ध से भोजन पकाए जाते हैं। चौपाइयों पर पशुपालन ही नहीं विकसित हुआ है बल्कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में वे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। (प्रमप्रकाश एवं श्रीवास्तव आदि)
1999)। पशुओं से चमड़ा, खाल, हरड़ी, बाल, ऊन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। घोड़े, ऊट, खच्छर, गधे आदि पशु शक्ति की एक प्रमुख इकाई हैं। इन पशुओं का उपयोग सामान की दुलाई हेतु किया जाता है।

पशुधन का वर्तमान स्वरूप एवं वितरण

गोजातीय

कुल पशुओं में गोजातीय पशुओं की संख्या 46629 है जो कुल पशुओं का 37.37% है(तालिका (4.2))। कुल गोजातियों में 90.20% देशी तथा मात्र 9.80% दोगले नर्सल की है। गोजातियों में सर्वाधिक अनुपात (36.05%, कुल पशुओं में 13.47%) 3 वर्ष से अधिक नर की है, जबकि 2-5 वर्ष से अधिक दोगले नर का अनुपात मात्र 0.92% (कुल पशुओं का 0.34%) है। 3 वर्ष से अधिक देशी मादा का अनुपात 28.26% है, जबकि 2-5 वर्ष से अधिक दोगली मादा का अनुपात मात्र 4.23% है। बछड़े-बछड़ीया का अनुपात क्रमशः 25.89% एवं 4.75% है। इस प्रकार गोजातियों में 3 वर्ष एवं 2-5 वर्ष से अधिक के नर का अनुपात 36.39%, अर्थात बैलों एवं सांड़ों की है, जबकि गायों(3 वर्ष एवं 2-5 वर्ष से अधिक की मादा) का अनुपात 32.38% है। कुल बछड़े-बछड़ीया का अनुपात 30.64% है गोजातियों में देशी नर्सल का अनुपात बहुत ही अधिक है जबकि दोगली नर्सल की संख्या बहुत ही कम है। क्षेत्र में दोगले नर्सल के बैलों की अपेक्षा दोगली नर्सल की गायों का अनुपात अधिक है। इसका कारण दोगले नर्सल के बैलों की कार्यक्षमता की कमी तथा दोगली नर्सल की गायों में दूध देने की क्षमता का अधिक होना है।

महिष जातीय पशु

कुल पशुओं में महिष जातीय पशुओं की संख्या 50641 है, जो कुल पशुओं का 40.59% है। इस प्रकार महिष जातीय पशुओं की संख्या सर्वाधिक है कुल महिष जातीय में भैंसों का अनुपात 50.07% (कुल पशुओं में 20.32%) है, जबकि नर भैंसों का अनुपात मात्र 0.48% है। पड़ह-पड़हिया का अनुपात 49.45% है। दूध के लिये भैंस अधिक पाली जाती है, जबकि कृषि एवं अन्य कार्यों के लिये नर भैंसों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। नर भैंसें छोटी उम्र में ही दूध देने के लिये बेच दिये जाते हैं।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में कुल पशुओं में चीपाओं की संख्या सर्वाधिक (77.96%) है। दुधालू पशुओं की संख्या भी काफी अधिक (32.43%) है। दुधालू पशुओं की इतनी संख्या के वाजूद भी दुध उत्पादन कम है। सम्प्रति इनके विकास पर ध्यान दिया जा रहा है।

अन्य पशु

अन्य पशुओं में 3.05% भेड़-17.01% बकरे-बकरियां 0.05% घोड़े एवं टटरू 1.88% सुअर तथा 0.07% खच्छर, गधे, ऊट आदि हैं। बकरे बकरियां
### तालिका 4.2

पशुधन एवं कुकुट संख्या (2003)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रं 0</th>
<th>सं 0</th>
<th>पशु</th>
<th>संख्या</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-</td>
<td></td>
<td>गोजातियाँ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(अ)</td>
<td>3 वर्ष से अधिक के नर (देसी)</td>
<td>16810</td>
<td>13.47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ब)</td>
<td>2.5 वर्ष से अधिक के नर (दोगला)</td>
<td>427</td>
<td>0.34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(स)</td>
<td>3 वर्ष से अधिक की मादा (देसी)</td>
<td>13176</td>
<td>10.56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(द)</td>
<td>2.5 वर्ष से अधिक की मादा (दोगली)</td>
<td>1928</td>
<td>1.55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(य)</td>
<td>बछड़ा एवं बछिया (देसी)</td>
<td>12072</td>
<td>9.67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(र)</td>
<td>बछड़ा एवं बछिया (दोगले)</td>
<td>2216</td>
<td>1.78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>योग</td>
<td>46629</td>
<td>37.37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td></td>
<td>महिष जातियाँ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(अ)</td>
<td>3 वर्ष से अधिक के नर</td>
<td>244</td>
<td>0.20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ब)</td>
<td>3 वर्ष से अधिक की मादा</td>
<td>25354</td>
<td>20.32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(स)</td>
<td>पड़वा–पड़िया</td>
<td>25043</td>
<td>20.07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>योग</td>
<td>50641</td>
<td>40.59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td></td>
<td>भेड़े</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>भेड़े</td>
<td>3802</td>
<td>3.05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td></td>
<td>बकरे बकरियाँ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>बकरे बकरियाँ</td>
<td>12224</td>
<td>17.01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>घोड़े एवं टटू</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>घोड़े एवं टटू</td>
<td>61</td>
<td>0.05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>सूअर</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सूअर</td>
<td>2342</td>
<td>1.88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>अन्य पशु</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>अन्य पशु</td>
<td>87</td>
<td>0.07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>योग (कुल पशु)</td>
<td>124786</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>कुल मुर्ग़े</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कुल मुर्ग़े</td>
<td>28152</td>
<td>96.66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9-</td>
<td>अन्य कुकुट</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>अन्य कुकुट</td>
<td>972</td>
<td>3.34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कुल कुकुट</td>
<td>29124</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्रोत—सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद अम्बेडकरनगर, 2009 एवं व्यक्तिगत गणना।
की संख्या अधिक होने का कारण आसानी से पालन एवं शुक्ल तथा आर्द्र वातावरण को सहन करने की आवश्यकता का होना है। निर्धन क्रूषक एवं 
मूलभूत श्रमिक बकरी अधिक पालते हैं। भेड़ पालन का कार्य गाड़िया जाति के 
लोग करते हैं। सुअर पालन एक घृणित कार्य एवं गंदा व्यवसाय माना जाता है। निम्न वर्ग के हिन्दू (डॉम, चमार, 
कोरी, खर्टिक, पासी आदि) सुअर पालन का कार्य करते हैं। घोड़े, टूटुं, गधे, खरचर और ऊंट का अनुपात बहुत कम है।

कुकुकुट पालन

कुकुकुट पालन का व्यवसाय क्षेत्र में मुसलमान एवं हिन्दुओं की अधिकता जातियों तक ही सीमित रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इसका पालन व्यवसायिक रूप से करीब जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र में कुकुकुटों की संख्या 
29124 (कुल मुर्गा-मुर्गिया एवं चुजे 28152, अन्य कुकुकुट 972) है, (लातिका 4:2)। मुर्गा पालन के व्यवसाय के अंतर्गत देशी की अपेक्षा फार्म स्तर के मुर्ग 
व मुर्गा का पालन अधिक किया जा रहा है।

पशुधन से सम्बन्धित समस्यायें

अध्ययन क्षेत्र में पशुओं की खराब नस्ल, कुपोषण, चारे की कमी, बीमारी 
तथा घटती हुई संख्या प्रमुख समस्यायें हैं। पशुओं की खराब नस्ल के 
साथ-साथ कुपोषण एक बड़ी समस्या है। क्षेत्र में अधिकांश पशु खराब अर्थात 
देशी नस्ल के हैं। अतः इससे उत्पादित प्रदार्शन स्तर भी निम्न है। क्षेत्र में 
चरागाह की कमी (मात्र 56 हेक्टेयर, 0.11%) है। आनाजों का मूसा, पुआएल 
आदि परम्परागत पशु आहार हैं जिसमें समुचित पोषण तत्त्व (प्रोटीन) मौजूद 
नही है। पशुओं के लिये उचित चारा उगाने की व्यवस्था एवं पर्यालों नहीं है। कुल 
बोरे गये क्षेत्र का मात्र 0.56% क्षेत्र पर चारा उत्पन्न किया जाता है। राज्यीय 
डेरी विकास बोर्ड के अनुसार पशु आहार में प्रोटीन की कमी ही डेरी विकास 
की प्रमुख बाधा है। चारे की उचित व्यवस्था न होने तथा कुपोषण एवं स्वास्थ्यकर 
वातावरण के अभाव के कारण पशु अनेक बीमारियों से ग्रस्त होकर गर जाते हैं। 
इन बीमारियों में गलामों, खुचरू, रिक्टरपस्ट प्रमुख हैं। ये सभी छुट के रोग 
हैं। अध्ययन क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की कमी है साथ ही चिकित्सा की 
समृद्ध व्यवस्था भी नहीं है। इस समय क्षेत्र में कुल पशु चिकित्सालय 8 (डी) 
श्रेणी पशु चिकित्सालय 5, पशु सेवा केंद्र 7 तथा कृषिम गर्मियां अग्रणी केंद्र 
13 हैं जो आवश्यकता के अनुसूच नहीं हैं, साथ ही अस्तित्व रूप में विनिर्मित हैं। पशु 
चिकित्सालयों (डी) श्रेणी पशु चिकित्सालयों, पशु सेवा केंद्रों तथा कृषिम 
गर्मियां अग्रणी केंद्रों से 3 किमी दूर तक के ग्रामों का कुल आवाज़ ग्रामों से 
अनुपात 7.14%, 10.39%, 12.66% तथा 15.91% है। इस प्रकार क्रमशः 
92.86%, 89.61%, 87.34% और 84.09% ग्राम के पशुपालकों को इसकी सेवायें 
प्राप्त करने के लिये 3 किमी से अधिक दूरी तथा कहीं पहुंच नही है। इस प्रकार 
पशुओं के लिये चिकित्सा सुविधायें अधिकांश ग्रामीण लोगों की पहुंच से दूर है।
इन केंद्रों पर चिकित्सकों, उपकरणों एवं दवाओं आदि का अभाव भी पशु 
चिकित्सा एवं सेवा पर भ्रमा बातरता है।
आज पशुओं की घटती हुई संख्या एक बड़ी समस्या है। वर्ष 1993 में क्षेत्र में कुल पशुओं की संख्या 145996 थी जो 2003 में घटकर 124786 हो गयी है। इस प्रकार इनमें 21210 अधिकता 14.53% का हास उत्पन्न हुआ है। सर्वविध कमी (50.74%) बैलों की संख्या में हुई है। टूकरों के बढ़ते उपयोग के कारण बैलों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। इसी प्रकार चारागाह की कमी तथा गढ़रिया जाल के लोगों के अन्य व्यवसायों में संलग्न होने के कारण भेदों तथा यातायात साधनों के बढ़ते उपयोग के कारण घोड़ों, टूकरों, खच्चरों, तोड़ों की संख्या कम होती जा रही है। दृढ़ के लिये मैंने, माता के लिये बकरे-बकरियों तथा मांस एवं अण्डों के लिये मुर्ग़-मुर्गियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अन्य जन्तु

अन्य जन्तुओं के अन्तर्गत बन्य जीवों को सम्मिलित किया गया है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाने रखने एवं मनोरंजन की दृष्टि से बन्य जन्तुओं का होना आवश्यक है। लेकिन अध्ययन क्षेत्र में बन विनाश एवं शिकार आदि के कारण इनकी संख्या नगद है। बन्य जन्तुओं में मीठद, लोमबी, खरगोश, जंगली सुअर, नीलगाय, बन्दर आदि प्रमुख हैं। सर्वसमूह जन्तुओं में साप, विज्ञकी, गिनिगत तथा वस्त्रों में गौरिया, कंबूर, मैना, तोता, मोर आदि प्रमुख हैं। अधिकांश बन्य जन्तु संकटपाल हो गये हैं क्योंकि उनमें हेशी से सीराबट आयी है। अब इतिहास यहाँ तक पहुँच गयी है कि कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के कारण पर हैं और कई विलुप्त हो गई हैं जैसे मिद्र, बाग बनीयों के कटते जाने के कारण बन्दर अब गांवों में अपना आहार लेने लगे हैं। इनकी दशा काफी दयनीय है। यही दशा अन्य जन्तुओं की है।

(3) मत्स्य संसाधन

मत्स्य एक महत्वपूर्ण जैविक संसाधन है। अत्यन्त पौष्टिक होने के कारण मानुष के आहार में इसे विशेष महत्व प्राप्त है। संतुलित भोजन में प्रोटीन, विटामिन और अन्य आवश्यक तत्व अनवर रहते हैं। मत्स्य प्रोटीन, विटामिन, वसा और अन्य आवश्यक तत्वों से भरपूर हैं। जिस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक है, अधिकतर भोजन में कैलोरिक संतुलन हेतु जान्य प्रोटीन का प्रयोग मात्रा में पूरा किया जा सकता है और यह मछली के बढ़ते उपयोग का तय किया जा सकता है। (साह, 2001)। अध्ययन क्षेत्र में मछली की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के गरीब किसानों तथा भूमिहीन अभियोजकों के लिये मत्स्यपालन आदि में वृद्धि करने का एक अच्छा स्रोत है। मछलियों एवं जलीय कृषि पौष्टिक स्तर का उन्नयन कर, सेवन कर तथा नियामक के माध्यम से आयद्री प्रदान कर देश की खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। (जयन एवं बालामूर्ति, 1996) इसके अतिरिक्त मछली का तेल बहुत उपयोगी होता है। कुछ मछलियों का तेल औषधियों के मुख्य प्रयोग होता है और कुछ का तेल पेट, वानिस, छपने की स्वास्थ्य तथा सामुन आदि में प्रयोग किया जाता है।
मस्त्योत्पादन के ख़ात्रे

अध्ययन क्षेत्र अपने नसीर तन्न, नहरों, झलाशियों, पोखरों के द्वारा बड़ी पैमाने पर स्वच्छ जल मस्त्य का विकास कर सकता है। टॉप, मुस्लिम नदियाँ वर्णित में मस्त्योत्पादन के संराम है। इन नदियों के अतिरिक्त अनेक मोसमी जलधाराओं की जलाशय का उपयोग मस्त्योत्पादन के लिये किया जाता है। क्षेत्र में तासदा सहायक की नहरें मस्त्योत्पादन के लिये संराम है। इन नहरों से मस्त्योत्पादन कर तरहसौल के कुल मस्त्योत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। क्षेत्र के झलाशियों पोखरों एवं छोटे-छोटे सरोवरों में मस्त्योत्पादन किया जाता है।

मस्त्य संसाधन का विकास

मस्त्य संसाधन के विकास कार्यों को सुनिश्चित डंग से समाप्तित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1947 में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत मस्त्य विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1966 में मस्त्य विभाग, पशुपालन विभाग से पृथक हुआ तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पशुपालन कुछ तालाब मस्त्य विभाग को हस्तान्तरित हुए, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया। मस्त्य विभाग कार्यों को छठवीं पंचवर्षीय योजना में मस्त्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना के बाद विशेष गतिसम्पत्ति की गई। राज्य में मस्त्य बीज की बढ़ी मांग की पुलिस के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश मस्त्य विकास निगम' के द्वारा बड़े आकार की हैविषयक का निर्माण कराया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में सभी जनपदों में मस्त्य पालक विकास अभिकरण स्थापित हुंधे तथा मस्त्यारों के सामाजिक, आर्थिक उद्यान हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों का समापन शुरू किया गया। जनपद फुलाबाद (नवमून्त जनपद अमेडकर नगर इसी का भाग है) में भी मस्त्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना की गई। आठवीं एवं नवीं पंचवर्षीय योजना में मस्त्य पालक विकास अभिकरण को माध्यम से मस्त्य संसाधन के विकास में उन्मूलन संबंधित अभियांत्रिक की गईं तथा मस्त्य अधिकारी समूह के कल्याण हेतु बल रखा गया। दसवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में जल संसाधन के शास्त्रीय प्रबन्ध पर बल देने के साथ ही मस्त्य पालन पर भी जोर दिया गया है। अध्ययन क्षेत्र में मस्त्य पालन के विकास हेतु अमेडकरनगर में स्थापित मस्त्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से सुविधाये प्रदान कर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मस्त्य उत्पादन की वृद्ध के लिये ‘नीति क़रिबत’ का नारा दिया गया है और क्षेत्र में समूह मस्त्य उत्पादन के प्रजनन, पालन, विपणन की तकनीक में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र में मस्त्य पालन के विकास हेतु तालाबों के पटटा एवं सुधार, अंगुलिकों के वितरण, मस्त्य दुर्घटना बीमा आदि कार्यक्रमों को लागू किया है।

मस्त्य विकास एवं सम्बद्ध हेतु सरकार की नीति

सरकार ने मस्त्य के विकास एवं सम्बद्ध हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जल क्षेत्र का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुये मस्त्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सूचन तथा मस्त्य अनुभव के उद्यान हेतु सीमा एवं
आधारित सुविधा कार्यक्रम संचालित है— प्रदेश सरकार द्वारा जनपद साथ ही अध्ययन क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु अधोलिखित कार्यक्रम संचालित है—

1- तालाबों का पट्टा

सरकार ने ग्रामसमाज के तालाबों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्ष की लम्बी अवधि के पट्टे पर देने की आवश्यकता की है। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इसके तहत ग्रामसभा में निहित 0.200 हेक्टेयर से अधिक के मत्स्य पालन योग्य तालाबों को शासनाधीन में निहित प्रावधान आँकने के अन्तर्गत ग्राम के इलाक़े में पात्र व्यक्तियों को तहमील रूप में शिक्षाएँ दी जाती है। सहायता शासनाधीन के अनुसार तालाबों के पट्टे प्राध्यापित के अधीन हैं। प्रत्येक तालाब पालन के साथ-साथ समानार्थी व्यक्तियों को सुलझाया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लंबों को भी जीवनपत्र दी जाती है।

2- तालाब सुधार / तालाब निर्माण कार्यक्रम

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अंतर्गत में मत्स्य पालन के बढ़ावा देने के लिए क्रियाशील मत्स्य पालन विकास अभियान के माध्यम से तालाब सुधार कार्यक्रम एवं प्रथम वर्ष निवेश हेतु 8.25 लाख प्रति हेक्टेयर बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। वितरित ऋण पर 20% तथा अनुसूचित जाति को 25% शासनीय अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। तालाब सुधार एवं जललाभ विकास योजना के अंतर्गत तालाबों की सफाई कराकर उसे पुनर्जीवित कर मत्स्य पालन किया जा रहा है। जललाभ निर्माण योजना के अंतर्गत स्वित व्यक्ति निजी स्वामित्व की भूमि पर नये तालाबों के निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश हेतु 8.30 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से बैंक ऋण दिया जाता है तथा सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक को परियोजना धनराशि का 20% एवं अनुसूचित जाति को 25% अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मत्स्य पालन के विकास एवं सम्बद्धता के साथ-साथ अन्य संचार भी है। क्षेत्र में जल संचय हेतु ग्रामसमाज के तालाबों का मनोरंजन के तहत भी खुदाई करके गहरा किया जा रहा है।

3- मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण

मत्स्य पालन के बढ़ावा देने के लिए मत्स्य बीज उत्पादन एवं अंगुलिकाओं के वितरण पर बल दिया गया है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निमंत्रण द्वारा निर्मित बढ़े आकार की है। मत्स्य विभाग के प्रशासन, निजी क्षेत्रों में स्थापित छोटे आकार की है। इस क्षेत्र को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आतंकित बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैंडरी की स्थापना को प्रशासनिक किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक मिनी हैंडरी की स्थापना हेतु 8.00 लाख तक का बैंक ऋण व सू 80 का अनुदान किया जाता है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति (सोलौ, नैन, भाकुर, कानून कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास}
कार्य के अंगुलिकाओं का वितरण किया जाता है। क्षेत्र में वर्ष 2008-2009 में 13,3000 अंगुलिकाओं का वितरण किया गया।

4- मछुआ दूर्घटना बीमा योजना

मछुआ समुदाय के लोगों को दूर्घटना ग्रस्त हो जाने पर उनके परिवार को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दूर्घटना बीमा योजना को सरकार द्वारा संचालित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मछुआ समुदाय के लोगों का कम्पनी के साथ बीमा कराया जाता है। दूर्घटना की रिहायित में बीमा कंपनी सम्बन्धित संचालित परिवार के आर्थिक सदस्य को निर्धारित मुआवजा (दूर्घटनावश मूल्य की दशा में रू 50,000 एवं अंगद होने की दशा में रू 25,000 प्रदान करती है। मछुआ समुदाय को 'मल्टी जीवी सहकारी समिति' का सदस्य होना आवश्यक है।

5- मछुआ आवास योजना

मछुआ समुदाय के कल्याणाधीन आवास के निर्माण की व्यवस्था की गई है। अध्याय क्षेत्र में मछुआ बालुख ग्रामों में आवासीय भवनों का निर्माण करकर मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है। चर्चित मछुआ समुदाय के परिवार को गरीबी रेखा के नीचे जीवनभारत करने वाला होना चाहिये।

6- स्वच्छ सहायता समूह गठन

ग्राम्य विकास के माध्यम से मल्टी पालन के लिये 10-10 व्यक्तियों के स्वच्छ सहायता समूह का गठन कर बैंक द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने के परिचालन बैंक निर्णय एवं अनुसरण की व्यवस्था तथा ग्रामसमाज के तालाबों के पटरे पर देने में वरीयता का प्राध्यापन है। अध्याय क्षेत्र के नियम विकास क्षेत्र के नियमावली न्याय पंचायत के सेमरा तथा दुल्हनपुर कलां न्याय पंचायत के फुलवारी ग्राम में स्वच्छ सहायता समूह का गठन किया गया है।

7- मल्टी प्रशिक्षण एवं मूडा परीक्षण

मल्टी पालन के विकास के लिये मल्टी पालकों को प्रशिक्षण तथा वैज्ञानिक मल्टी पालन हेतु तकनीकी परामर्श दिये जाने की व्यवस्था है। तालाब में पालन योग्य भारतीय की स्वामी बुद्धि के लिये तालाबों की मिट्टी और पानी की मैत्रिक तथा रासायनिक दस्तावेज का अनुकूल होना पराम आवश्यक है। विभागीय प्रशिक्षण कार्यालयों द्वारा मल्टी पालकों के तालाबों की मिट्टी-पानी के नियम शुल्क परीक्षण की व्यवस्था है।

मल्टी पालन का भविष्य

मल्टी पालन का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि अध्याय क्षेत्र में मछली की नाग दिन प्रकरितित बढ़ती जा रही है। मल्टी पालकों की गरीबी, वित्तीय संसाधनों के अभाव, आधुनिक सुविधाओं कमी, मछलियों के रोग आदि की समस्याओं का समाधान कर अन्य पालन को विकसित किया जा सकता है।
जनपद के मत्स्य पालन विकास अभियान के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि मत्स्य पालन के व्यय की घनराशि को अपेक्षा आय की घनराशि लगभग चार गुनी है। तालाब की सफाई, मत्स्य बीज मूल्य, चूना, गोबर की खाद (एक हेक्टेयर जल क्षेत्र में 10-15 टन गोबर की खाद 10 समान किस्मों में मासिक प्रतिवर्ष ढालने पर), रासायनिक खाद (490 किग्राँ) चावल का कन्द (राइस पालिसा-1000 किग्राँ), सरसों की खाती (1000 किग्राँ), पानी की आपूर्ति तथा अन्य व्यय को जोड़ने पर व्यय और आय की घनराशि में चार गुने का अंतर है।

इस प्रकार तीन गुने का लाभ प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उधार तालाबों, धान के खेतों, दलदली क्षेत्रों से मछलियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। क्षेत्रीय लोगों में मछली खाने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुये मत्स्य पालन व्यवसाय आय प्रदान करने का एक अच्छा स्रोत हो सकता है क्योंकि इसकी मांग में वृद्धि होने से खपत की कोई समस्या नहीं है। सम्प्रति बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पॉषण के लिये अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन की आवश्यकता है। इससे आवश्यक पॉषक तत्व उपलब्ध होगे जो क्षेत्र के कुष्टियों निवासियों के लिये आवश्यक हैं।
References


